रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 2011/पौष 13, 1932 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 234

No. 1] DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 2011/PAUSA 13, 1932 [N.C.T.D. No. 234

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जनवरी, 2011

फा. सं. 4 (7)/यू.डी./डीयूएसआईबी/2010/16-41.—इस सरकार की दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना फा. सं. 4(7)/यू.डी./डीयूएसआईबी/20020-20044 के अनुक्रम में तथा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 07) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री रमेश मोहन चौहान तथा श्री नरेन्द्र कुमार बिन्दल को उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के खंड (iv) के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि के लिए या दिल्ली नगर निगम के सदस्य बने रहने तक, इसमें जो भी पहले हो, के अंतर्गत पूर्वोक्त अधिसूचना द्वारा गठित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
बी. वी. सेल्वराज, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF UNBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd January, 2011

F. No. 4(7)/UD/DUSIB/2010/16-41.—In continuation of this Government's Notification No. F. 4(7)/UD/DUSIB/2010/20020-20044, dated 10th December, 2010 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi Act 07 of 2010), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Shri Ramesh Mohan Chauhan and Shri Narender Kumar Bindal as Members of Delhi Urban Shelter Improvement Board, Delhi constituted by the aforesaid notification, under clause (iv) of sub-section (4) of Section 3 of this Act, for a period of two years or till they cease to be Members of the Municipal Corporation of Delhi, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
B. V. SELVARAJ, Principal Secy.

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जनवरी, 2011

फा. सं. 50 (विविध)/खा. एवं पू./सी.ए./2008/2374.—खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय भारत सरकार तथा नागरिक आपूर्ति, नई दिल्ली की दिनांक 15 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 469(अ) के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional